मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 184 / 2025

सन्दीप सिंह बराड़ पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

ब ना म

1. सुखदेव सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. लवप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख साकिन बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 09/09/25

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – **वादी को** चक 7 पीबीएन के मु. खाता सं. 10 / 12 के प.नं. 52 / 297 (11) किला नं. 2 / 1 / .202, 3 / 1 / .202, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कर 2.428 हैक. नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1 / 2 हिस्सा में से 1 / 2 हिस्सा यानी 0.607 हैक. नहरी खातेदारी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत् रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लठ्ठा कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार यथावत् रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/09/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा